

//1//

—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :-

पीठासीन अधिकारी :- देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 39/2025

उनवान

प्रहलाद पुत्र रडमा जाति गुर्जर निवासी ग्राम दिलवाडी, नसीराबाद, अजमेर
—वादी :- जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. कृगिरधारी दत्तक पुत्र जीवण जाति गुर्जर निवासी ग्राम दिलवाडी, नसीराबाद
2. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
— प्रतिवादीगण :- 1 अनुपस्थित, 2 जरियें राज. पैरोकार
3. चन्द्री पत्नी रडमा
4. हीरा पुत्र रडमा समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम दिलवाडी, नसीराबाद
— प्रफोर्मा प्रतिवादीगण :- 3 व 4 अनुपस्थित

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188, 92अ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: निर्णय :-

दिनांक :- 12.5.25

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम दिलवाडी के हाल खसरा नम्बर 690/2239 रकबा 0.03 वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण की खातेदारी की है। प्रतिवादी संख्या 1 का खेत उक्त आराजी के पडौस में खसरा नम्बर 648 है। प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त आराजी पर कोई हक व अधिकार नहीं है। किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 वादी की खातेदारी आराजी से बेदखल करने पर आमादा है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पांबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 3 व 4 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने जवाब नहीं पेश करना जाहिर किया।

प्रकरण में खण्डन नहीं होने के कारण तनकी कायम नहीं की गयी। अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा साक्ष्य नहीं पेश कना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। दिलवाडी के हाल खसरा नम्बर 690/2239 रकबा 0.03 वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण की खातेदारी की है। प्रतिवादी प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त आराजी पर कोई हक व अधिकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 ने वाद का खण्डन भी नहीं किया है। आराजी मुतनाजा वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण की खातेदारी की है। प्रतिवादी संख्या




—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

आराजी पर कोई दखलदांजी अथवा निर्माण करने का विधिक अधिकार नहीं है। वादी आराजी मुतनाजा का खातेदार होने के कारण प्रकरण बहक वादी सिद्ध होता है। वादी विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम दिलवाडी के हाल खसरा नम्बर 690/2239 रकबा 0.03 की आराजी पर वादी का वाद "स्वीकार" किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि आराजी मुतनाजा पर किसी प्रकार की दखलदांजी व निर्माण नहीं करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद



डिक्री व मुकदमें इत्बाई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

प्रहलाद बनाम गिरधारी

दावा बाबत :- 188, 92अ राज. का. अधि० 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर -39/2025
पेश करने की दिनांक -18.02.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)-व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई राज० पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

ग्राम दिलवाडी के हाल खसरा नम्बर 690/2239 रकबा 0.03 की आराजी पर वादी का वाद "स्वीकार" किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि आराजी मुतनाजा पर किसी प्रकार की दखलदांजी व निर्माण नही करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक----- को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 12 माह 5 सन् 2025 को जारी की गयी।

मुद्दई

मुदायला

स्टाम्प अरजी दावा
स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वजह सबूत
मेहनताना वकील
फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान
बाबत् इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक

स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प अरजी
मेहनताना वकील
खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर
बाबत् इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक

मिजान

मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

